न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–99/2012–13 अन्तर्गत धारा–333 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवथा अधिनियम

श्री कान्ति प्रसाद भट्ट

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री दिनेश प्रकाश त्यागी।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी राज्य सरकार : श्री राजवीर सिंह, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व)।

बावत

खाता संख्या–27 मध्ये 0.064 है0
मौजा–गन्दरियाखाल, पट्टी हल्दूखाता,
तहसील कोटद्वार, जनपद पौडी गढ़वाल।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा अपील संख्या–09/2011–12 कान्ति प्रसाद भट्ट बनाम उत्तराखण्ड़ सरकार में पारित आदेश दिनांक 14–08–2012 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता श्री कान्ति प्रसाद भट्ट निवासी ग्राम कुलगाँव, पट्टी सीला, तहसील कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र मुरली सिंह निवसी ग्राम गन्दरियाखाल, पट्टी हल्दूखाता, तहसील कोटद्वार से भूमि क्रय करने के पश्चात तहसीलदार, कोटद्वार के न्यायालय में नामान्तरण हेतु दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार, कोटद्वार ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विक्रेता वीरेन्द्र सिंह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और तद्नुसार अपनी आख्या दिनांक 11–07–2007 से क्रय की गई भूमि को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–166 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहत करने की संस्तुति सहायक कलेक्टर, कोटद्वार को प्रेषित की गई। सहायक कलेक्टर, कोटद्वार ने अपने आदेश दिनांक 19–09–2008 से ग्राम गन्दरियाखाल की खतौनी खाता संख्या–27 मध्ये 0.064 है0 भूमि जो कान्ति प्रसाद द्वारा क्रय की गई थी को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किये गये, जिसके विरूद्व निगरानीकर्ता कान्ति प्रसाद भट्ट द्वारा आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के न्यायालय में अपील संख्या–02/2008–09 योजित की गई जिसे विद्वान आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 20–03–2009 से अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। आदेश दिनांक 20–03–2009 के विरूद्व निगरानीकर्ता ने विद्वान आयुक्त के समक्ष पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 24–07–2012 प्रस्तुत किया गया जिसे आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 14–08–2012 से यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र कालबाधित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विद्वान आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 14–08–2012 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने तथा निगरानी पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान आयुक्त न्यायालय में जब दिनांक 16–10–2008 को श्री कान्ति प्रसाद भट्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई तो उसकी ग्राह्यता पर सुनवाई हेतु उसे अगली तिथि दिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है और तपश्चात दिनांक 20–03–2009 को लगभग 05 माह पश्चात अपील निरस्त कर दी गई जिसकी उसे कोई सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई गई। निगरानीकर्ता द्वारा आयुक्त के समक्ष उन सभी तथ्यों का अपने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किया है जिसके कारण पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया तथा धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र के दिया गया था, जिसका संज्ञान विद्वान आयुक्त द्वारा नहीं लिया गया है। इसी प्रकार जब श्री कान्ति प्रसाद द्वारा नामान्तरण प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया और यह विदित हुआ कि विकेता अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तो तहसीलदार को चाहिए था कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त भूमि विक्रय की अनुमति की माँग केता से करते तत्पश्चात ही कोई विधिसम्मत आदेश पारित करते लेकिन उनके द्वारा सीधे क्रय की गई भूमि को राज्य सरकार में निहित करने की संस्तुति सहायक कलेक्टर, कोटद्वार को की गई। सहायक कलेक्टर, कोटद्वार द्वारा भी विधिक तथ्यों का परीक्षण न करते हुए आदेश दिनांक 19–09–2008 से विक्रय की गई भूमि को राज्य सरकार में निहित किए जाने के आदेश पारित किए गए, जबकि उनके द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, गढ़वाल के आदेश दिनांक 19–10–2004 से ग्राम गन्दरियाखाल, पट्टी हल्दूखाता, तहसील कोटद्वार की खतौनी खाता संख्या–27 मध्ये 0.482 है0 भूमि सवर्ण जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त आदेश की प्रति निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 30–07–2013 से इस न्यायालय में भी प्रस्तुत की गई है।

उक्त विवेचना एवं अभिलेखों से स्पष्ट है कि विकेता श्री वीरेन्द्र सिंह को अपने खाता संख्या–27 मध्ये 0.482 है0 भूमि विक्रय करने की अनुमति कलेक्टर, पौड़ी द्वारा प्रदान की गई थी जिसके सापेक्ष ही उन्होंने 0.064 है0 भूमि केता श्री कान्ति प्रसाद भट्ट को विक्रय की है, जिसका नामान्तरण उनके हक में किया जाना विधिसम्मत है।

आदेश

निगरानी स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालयों के समस्त आदेश निरस्त कर ग्राम गन्दरियाखाल, पट्टी हल्दूखाता, तहसील कोटद्वार के खतौनी खाता संख्या–27 मध्ये 0.064 है0 भूमि केता श्री कान्ति प्रसाद भट्टा पुत्र श्री उदयराम, निवासी ग्राम कुलगाँव, पट्टी सीला, तहसील कोटद्वार के नाम दर्ज किया जाय। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 10-12-14 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।